न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
427 / 2022	18.10.2022	04-7-2023

उनवान

1. शशीकुमार यादव पुत्र नित्यानन्द यादव जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।

वादी।

बनाम

1. खेमराम पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
2. रामजीलाल पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
3. रामसिंह पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
4. मंजीत पुत्र नित्यानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।
5. यशपाल पुत्र नित्यानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88 व 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:—

1. श्री मनीष कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाब दावा।

—::निर्णय::—

त्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है—

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 289 / 0.66 वाके ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना व अन्य आराजीयात बावत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वहरोड द्वारा वाद सं. 133 / 03 उनवानी यादराम बनाम दलीपसिंह वगैराह दिनांक 26.08.2003 को डिक्री किया गया था जिस डिक्री के मुताविक ख.नं. 289 / 0.66 है0 के मुताविक ख.नं. 289 / 423,289, 289 / 424, 289 / 425, 424 / 289, 425 / 289, 426 / 289 कायम कर खातेदारी सही दर्ज कर दी गई मौके पर भी संलग्न नजरी नक्शा के मुताविक रास्ता कायम कर काविज है। लेकिन संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार नक्शा मे दी गई नाप व क्षेत्रफल के मुताविक 12 भागो मे विभाजन होना चाहिये था और इसी अनुसार हाल राजस्व नक्शा मे तितम्वा काटना चाहिए था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा डिक्री एंव संलग्न नक्शा के तितम्वा काटा गया है जिसकी जानकारी मिन वादी को हाल राजस्व नक्शा की नकल ले कर देखी तो उसमे मौके पर वंटवारा के मुताविक तितम्वा नही काटा गया था। तथा रास्ता भी दर्शित नही किया गया दिनांक 09.10.22 को तहसीलदार,साहव से मिले तो तहसीलदार साहव ने न्यायालय से नैक्शा दुरूस्त कराने के लिए कहा इसलिए पेश करना लाजिम आया है।

2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:—
(क) डिक्री दुरूस्ती इन्द्राजात इस अमर की जारी कि जावे कि हाल ख.नं. 289 / 423, 289, 289 / 424, 289 / 425, 424 / 289, 425 / 289, 426 / 289 वाके ग्राम निहालपुरा के राजस्व नक्शा मे किया तरमीम को दुरूस्त किया जाकर निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003 के मुताविक हाल राजस्व नक्शा मे तरमीम किया जाने की घोषणा

कारी
वर)

फरमाई जावे तथा इसी अनुसार हाल राजस्व नक्शा मे तरमीम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ग) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित हो कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये इकबाल जवाब दावा पेश किया।

4. वादी ने अपने वाद की पुष्टि मे नकल नक्शा ट्रेस,फोटोप्रति नजरी नक्शा, नकल पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003, नकल जमाबंदी संवत 2076–79 पेश किये है।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार हाल ख.नं. 139 / 02.06,44 / 01.87, 24 / 0.86, 56 / 0.75,229 / 0.13 मे से 0.09 तरफ पूर्व की, 248 / 0.28,289 / 0.66 मे से 0.14 कुल रकबा 06.05 हैक्टर का खातेदार वादी के पिता नित्यानंद को घोषित किया गया है। तथा ख.नं. 289 / 0.66 मे से 0.08 और 288 / 0.03,290 / 0.43, 217 / 0.34 मे से 09 एयर तरफ पश्चिम कुल रकबा 63 एयर सभी के सामलाती खातेदारी मे दर्ज रहने के आदेश दिये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा एंव जमाबंदी हाल के अवलोकन से साबित है कि उक्त डिक्री की अमल मुताबिक आदेश नही किया गया तथा डिक्री के मुताबिक तितम्बा नही काटा गया है। डिक्री के अनुसार ही दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होता है। वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है किः–

वाद वादी बरूवे राजीनामा बाबत दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 289 / 423, 289, 289 / 424, 289 / 425, 424 / 289, 425 / 289, 426 / 289 वाके ग्राम निहालपुरा के राजस्व नक्शा मे की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाकर निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003 के अनुसार हाल राजस्व नक्शा मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती हाल राजस्व नक्शा मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पूर्व मे जारी पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003 आदेश का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.7.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

04/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
421 / 2022	18.10.2022	04.7.2023

उनवान

1. शशीकुमार यादव पुत्र नित्यानन्द यादव जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।

वादी।

बनाम

1. खेमराम पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
2. रामजीलाल पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
3. रामसिंह पुत्र चन्द्रभान जाति अहीर निवासी निहालपुरा तह0 नीमराना।
4. मंजीत पुत्र नित्यानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।
5. यशपाल पुत्र नित्यानन्द जाति अहीर निवासी ग्राम निहालपुरा तह0 नीमराना।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88 व 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:–

1. श्री मनीष कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाब दावा।

दिनांकः 04.7.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादी बरूवे राजीनामा बावत दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 289/423, 289, 289/424, 289/425, 424/289, 425/289, 426/289 वाके ग्राम निहालपुरा के राजस्व नक्शा मे की गई तरमीम को दुरूस्त किया जाकर निर्णय व पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003 के अनुसार हाल राजस्व नक्शा मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही वाद दुरूस्ती हाल राजस्व नक्शा मे अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पूर्व मे जारी पर्चा डिक्री दिनांक 26.08.2003 आदेश का जुज रहेगी।

04/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)